दिनांक	आज्ञा-पत्र
23/9/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस एकपक्षीय T.P. पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 11/10/19 को पेश हो।
11.10.19	पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। प्रार्थी का आवेदन पत्र [illegible] रूप से स्वीकार किया जाता है। शामिल पत्रावली निर्णय प्रथक से लिखवाया जाकर नम्बर से खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावा के संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मुख्यालय सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
eCopy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र / 72 / 2012

गोपालराम उम्र 30 वर्ष पुत्र गीण्डाराम जाति माली निवासी वार्ड सं. 18, महन्तों की कोठी, सीकर तहसील सीकर जिला सीकर

–प्रार्थी

बनाम

गीण्डाराम पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी वार्ड सं. 18, महन्तों की कोठी, सीकर तहसील सीकर जिला सीकर

–अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

01. श्री कैलाश स्वामी वकील प्रार्थी की ओर से

–आदेश–

दिनांक– 11.10.2019

1. प्रार्थी कि ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 30 (मुताबिक वाद पत्र) के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1216 रकबा 2.8400 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1218 रकबा 2.7100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1219 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेर वाके कस्बा सीकर में व खसरा नम्बर 922 रकबा 2.35 हैक्टेर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील व जिला – सीकर में अवस्थित है। प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की उक्त कृषि भूमियां पुश्तैनी कृषि भूमियां है जो प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को उनके पूर्वज स्व. सुरजाराम से विरासत में प्राप्त हुई है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का सजरा खानदान इस प्रकार है:–

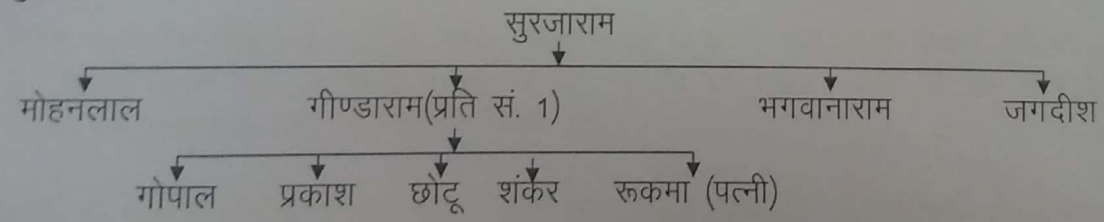

प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को विरासत में प्राप्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1215, 1216, 1218, 1219 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेर जिसके पुराने खसरा नम्बर 497 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम सीकर में अवस्थित है जिसमें प्रार्थी के पिता अप्रार्थी का हिस्सा 1/16 अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/80 अवस्थित है जो प्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व व विरासतन हक में है जिस पर प्रार्थी मय परिवार मकानात बनाकर काबिज काश्त एवं आबाद है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 922 रकबा 2.35 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा वाकै ग्राम कंवरपुरा में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 है तथा प्रार्थी का विरासत हक व हिस्सा 1/20 है। जिस

उपखण्ड अधिकारी
धोद-मु. सीकर

For Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर वह शान्तिपूर्वक काबिज काश्त संयुक्त रूप से चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता अप्रार्थी ने प्रार्थी को आज से अर्सा करीब 10 वर्ष परिवार से अलग कर उसके पुश्तैनी हक, हिस्से की जमीन पृथक से दे दी थी, जिसकी पृथक से नींव सींव कायम कर दी गयी थी। प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमियों को शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है तथा रिहायशी मकान बनाकर मय परिवार आबाद है। अप्रार्थी ने पूर्व में तो अपने सभी पुत्रों को समान समझकर भूमियों का बंटवारा कर पृथक पृथक सम्भला दी थी। लेकिन अब वृद्धावस्था व कम सोचने समझने की शक्ति हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पुत्रमोह में फंस गया है तथा उनके बहकावे में आ गया है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वर्तमान में जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण भू माफियों के चक्कर में आ गये है तथा उक्त आवेदन में प्रश्नगत पुश्तैनी कृषि भूमियों को अप्रार्थी को प्रभाव में लेकर भूमियों का बेचान करने पर आमादा है जिसका कि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 सभी एकराय होकर प्रार्थी को उसके हक, हिस्से से वंचित करने की कुमंशा से दिनांक 25.03.2012 को भू माफिया के सदस्यों को मौके पर लाकर भूमियों को विक्रय करने की नियत से दिखाया व शीघ्र ही सौदा करने का तय हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को प्रार्थी द्वारा मना किया गया तो प्रार्थी से झगड़ा करने पर उतारू हो गये व नहीं माने। इस कारण उसे ऐसा न करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बड़ा ही सुपुष्ट है, सुविधा का संतुलन भी वादी/प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1215 रकबा 0.0400 हैक्टेर खसरा नम्बर 1216 रकबा 2.8400 हैक्टेर खसरा नम्बर,1218 रकबा 2.7100 हैक्टेर, खसरा नम्बर 1219 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.7300 हैक्टर वाकै ग्राम सीकर व खसरा नम्बर 922 रकबा 2.35 हैक्टर वाकै ग्राम कंवरपुरा तहसील सीकर व जिला सीकर का विक्रय करने, रहन करने व भूमियों को किसी भी रूप में खुर्द बुर्द करने वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी रूप में मजाहमत पैदा करने से बाज रहें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

3. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण उक्त टी.आई. आवेदन स्वीकार किया जावे।

4. प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। आवेदन पत्र में अंकित भूमि दो तहसीलों में स्थित है। आवेदन पत्र में अंकित विवादित भूमि का एक खसरा सं. 922 रकबा 2.35 हैक्टेयर ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद में स्थित है, जिसके संबंध में पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2065–2068 व 2076–2079 वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद के अनुसार विवादित खसरा सं. 922 रकबा 2.35 हैक्टेयर की 1/4 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी गीण्डाराम पुत्र सुरजाराम जाति माली नि. सीकर के नाम पद दर्ज है। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल की नकल के अनुसार वर्तमान खसरा सं. 922 पुराने खसरा सं. 259 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा से बना है तथा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 व 2033–2037 के अनुसार खसरा सं. 259 की भूमि अप्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

बनाम

जरिये विरासत प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट है कि विवादित खसरा सं. 922 की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। पैतृक कृषि भूमि में पुत्र को जन्मत् अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद मे स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 922 रकबा 2.35 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थी का हक प्रथम दृष्ट्या बनता है तथा कब्जा काश्त हिस्से अनुसार होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। टी.आई. जारी नहीं करने पर यदि भूमि का बेचान अप्रार्थी द्वारा किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की होगी। अतः उपर्युक्त तीनों आधार प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद में स्थित भूमि खसरा सं. 922 रकबा 2.35 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। आवेदन पत्र में अंकित अन्य विवादित भूमि खसरा सं. 1215 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा सं. 1216 रकबा 2.84 हैक्टेयर, खसरा सं. 1218 रकबा 2.71 हैक्टेयर, खसरा सं. 1219 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम सीकर तहसील सीकर में स्थित है, जिसके संबंध में पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2065–2068 व 2076–2079 वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद के अनुसार उक्त विवादित खसरा सं. 1215, खसरा सं. 1216, खसरा सं. 1218, खसरा सं. 1219 की 1/16 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी गीण्डाराम पुत्र सुरजाराम जाति माली नि. सीकर के नाम पद दर्ज है। पत्रावली में संलग्न मिलान क्षेत्रफल की नकल के अनुसार वर्तमान खसरा सं. 1215, 1216, 1218, 1219 पुराने खसरा सं. 497 से बना है तथा पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2030–2033 व 2034–2038 के अनुसार खसरा सं. 497 की भूमि अप्रार्थी को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट है कि विवादित खसरा सं. 1215, 1216, 1218, 1219 की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। पैतृक कृषि भूमि में पुत्र को जन्मत् अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः ग्राम सीकर तहसील सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 1215 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा सं. 1216 रकबा 2.84 हैक्टेयर, खसरा सं. 1218 रकबा 2.71 हैक्टेयर, खसरा सं. 1219 रकबा 0.14 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थी का हक प्रथम दृष्ट्या बनता है तथा कब्जा काश्त हिस्से अनुसार होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। टी.आई. जारी नहीं करने पर यदि भूमि का बेचान अप्रार्थी द्वारा किया जाता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी की होगी। अतः उपर्युक्त तीनों आधार प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण ग्राम सीकर तहसील सीकर में स्थित भूमि खसरा सं. 1215 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा सं. 1216 रकबा 2.84 हैक्टेयर, खसरा सं. 1218 रकबा 2.71 हैक्टेयर, खसरा सं. 1219 रकबा 0.14 हैक्टेयर के संबंध में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह ताफैसला दावा कृषि भूमि खसरा सं. 922 रकबा 2.35 हैक्टेयर वाके ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद एवं खसरा सं. 1215 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा सं. 1216 रकबा 2.84 हैक्टेयर, खसरा सं. 1218 रकबा 2.71 हैक्टेयर, खसरा सं. 1219 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम सीकर तहसील सीकर में अपने हिस्से की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सीकर
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner